फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

उगन्ती बनाम गंगाबिशन वगै0

किस्म मुकदमा— प्रा0पत्र बाबत दुरूस्ती मु0नं0— 70/2018

पीठासीन अधिकारी— श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस दावा सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम गुर्जर सीमला की भूमि खसरा नम्बर 287, 288, 289, 290 की सैटलमेण्ट विभाग द्वारा सही नहीं की गई। इसलिए प्रश्नगत भूमि की तरमीम मौका कब्जानुसार की जावे। पत्रावली में जवाब स्टेट भी संलग्न है। जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। जवाब स्टेट में तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब के पैरा संख्या 6 में यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान प्रश्नगत भूमि की तरमीम सही नहीं की गई। एवं पैरा संख्या 7 में यह तथ्य अंकित किया है कि पूर्व नक्शा शीट मे तरमीम नही होने पर भी सैटलमेण्ट विभाग द्वारा वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम गलत है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सैटलमेण्ट विभाग द्वारा की गई तरमीम सही नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश जवाब स्टेट के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गाम गुर्जर सीमला की भूमि खसरा नम्बर 287, 288, 289, 290 की वर्तमान तरमीम को निरस्त कर पुनः मौका कब्जानुसार तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)